

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स—2/जोन उदयपुर/20943/2023/35

दिनांक:—19-02-2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/डुंगरपुर ।

विषय:—नवचयनित भर्ती 2018 के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्थायीकरण प्रस्तावों में आक्षेपों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर राज्य सेवा में स्थाईकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये हैं, में निम्नानुसार कमियां पाई गई है, की पूर्ति कर प्रस्ताव निदेशालय को यथाशीघ्र भिजवावे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके:—

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदस्थापन जिला	आक्षेप
1	सीमा रेगर	चित्तौड़गढ़	काल्पनिक लाभ दिये जाने के आदेश की प्रति अप्राप्त है।
2	लीला दाधीच	चित्तौड़गढ़	काल्पनिक लाभ दिये जाने के आदेश की प्रति अप्राप्त है।
3	माया कुमावत	प्रतापगढ़	काल्पनिक लाभ दिये जाने के आदेश की प्रति अप्राप्त है।
4	निर्मला कुमारी रोट	डुंगरपुर	सेवा पुस्तिका एवं काल्पनिक लाभ के आदेश की दिनांक में भिन्नता है।

(डॉ० आशुतोष गर्ग)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स—2/जोन उदयपुर/20943/2023/

दिनांक:—

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें एवं संबंधित अधिकारी को ई—मेल भी करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5654365



Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.15 22:22:13 IST
Reason: Approved